

माध्यिमक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नितजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७





माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ.) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ प्रस्तावना

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (Covid-19) को महामारीका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ.) कक्षा १० को परीक्षा तोिकएको मितिमा सञ्चालन हुन नसकेको र महामारी कायम रहने अबधी समेत अनिश्चित रहेको हुँदा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र समेतलाई मध्यनजर गरी शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सिहत) को दफा ४८(१) मा उल्लेखित मध्ये कक्षा १० का विद्यार्थीहरूको हकमा सम्बन्धित विद्यालयबाट गरिएको अन्तिम मूल्यांकनका आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भनी ऐ.ऐनको दफा २० मा उल्लेखित बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार अन्तरगत नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट मिति २०७७/०२/२८ मा निर्णय भई आदेश भए बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देहायको कार्यविधि बनाएको छ ।

परिच्छेद १ प्रारम्भिक

- 9 **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (९) यस कार्यविधिको नाम माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ.) कक्षा ९० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नितजा प्रकाशन तथा प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७७ रहेको छ ।
 - (२) यो कार्यविधि २०७६ को एस.इ.इ. दिने परीक्षार्थीहरुका लागि लाग् हुनेछ ।
 - (३) यो कार्यविधि बोर्डबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
- २ परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा
 - (क) "बोर्ड" भन्नाले शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ४क बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्भन्पर्छ।
 - (ख) "परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय" भन्नाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० सम्भन्पर्छ ।
 - (ग) "शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई" भन्नाले प्रत्येक जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सम्भन्पर्छ ।
 - (घ) "विद्यालय" भन्नाले माध्यमिक तह कक्षा १० सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति / सञ्चालन अनुमित प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको विद्यालय सम्भन्पर्छ ।
 - (ङ) "विद्यालय व्यवस्थापन सिमिति" भन्नाले शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १२ बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन सिमिति सम्भनुपर्छ ।
 - (च) "प्रधानाध्यापक" भन्नाले सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्भानुपर्छ ।
 - (छ) "मूल्यांकन सिमिति" भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम सम्बन्धित विद्यालयले गरेको कक्षा १० को विद्यार्थीहरुको अन्तिम मूल्यांकन प्रमाणित गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि परिच्छेद २ को दफा ३ बमोजिम गठित सिमिति सम्भन्पर्छ ।
 - (ज) "अन्तिम मूल्यांकन" भन्नाले सम्बन्धित विद्यालयबाट यो कार्यविधीको दफा ३ (२) बमोजिम गरिएको विद्यार्थीको निर्णयात्मक मूल्यांकनलाई सम्भन्पर्छ।
 - (भ्र) "परीक्षा" भन्नाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ.) कक्षा १० को परीक्षा सम्भानुपर्छ ।
 - (ञ) "विषय शिक्षक" भन्नाले माध्यमिक तहमा सम्बन्धित विषय अध्यापन गराउने शिक्षक सम्भन्पर्छ।
 - (ट) "कक्षा शिक्षक" भन्नाले हरेक कक्षामा विद्यार्थीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने हाजिर गराउने तथा कक्षाको शैक्षिक प्रशासनिक कार्य गर्न तोकिएको शिक्षकलाई सम्भन्पर्छ ।
 - (ठ) "विद्यार्थी" भन्नाले २०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ.) कक्षा १० मा सहभागी हुन योग्य विद्यार्थीहरु सम्भनुपर्छ ।
 - (ड) "प्रमाणपत्र" भन्नाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उपलब्ध गराईने ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र सम्भन्पर्छ।

परिच्छेद २ मूल्यांकन समिति सम्बन्धी व्यवस्था

- मूल्यांकन समितिको गठन : (१) विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्यांकन विवरणको अभिलेख अनुसार विवरण प्रमाणित गर्न देहाय बमोजिमको मूल्यांकन समिति रहनेछ :
 - (क) सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक

अध्यक्ष

(ख) सम्बन्धित कक्षा शिक्षक

सदस्य

(ग) सम्बन्धित माध्यमिक तहका शिक्षकहरु मध्ये नियुक्तिका आधारमा सबैभन्दा जेष्ठ, शिक्षक प्रतिनिधि

सदस्य

- (२) मूल्यांकन समितिले विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्यांकन विवरण कायम गर्ने प्रकृया :
 - (क) सैद्धान्तिक मूल्यांकन : माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०७१ अनुसार विद्यालयहरुले लिएका परीक्षाहरु मध्ये अधिकतम पाठ्यक्रम समावेश हुने गरी पछिल्लो पटक लिइएको परीक्षाको अंकलाई विषयगत पूर्णांक अन्तरगत परिवर्तन गरी विषयगत अन्तिम मूल्यांकनको प्राप्तांक दिने । यसरी गरिने परिवर्तनका लागि अनुसूची १ मा सृत्र सिहतको उदाहरण दिइएको छ ।
 - (ख) प्रयोगात्मक मूल्यांकन : विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मक प्राप्तांक चढाउँदा सम्बन्धित विद्यालयहरुले यस अगािड नै प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाएको विवरणमा फरक नपर्ने गरी सोही अंक चढाउन्पर्नेछ ।
- ४ मूल्यांकन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) मूल्यांकन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
 - (क) विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रम अनुसार (साधारण/संस्कृत/प्राविधिक) विद्यार्थीहरूको संख्या यिकन गरी विषयगत रूपमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक मुल्यांकनको प्राप्तांक विवरण तयार गर्न्पर्नेछ ।
 - (ख) परीक्षा आवेदन फारम भरेका, परीक्षा दस्तुर बुक्ताएका र पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत हाजिरी भएका विद्यार्थीहरूको मात्र मूल्यांकन वापतको अंक पठाउन्पर्नेछ ।
 - (ग) अनुसूची २ को (क), (ख) र (ग) मा उल्लेखित समष्टिगत प्राप्ताङ्क विवरण भर्दा साधारण तर्फका विद्यार्थीहरूको लागि (क), संस्कृत तथा वेद विद्याश्रम तर्फका विद्यार्थीहरूको लागि (ख) र प्राविधिक धार तर्फका विद्यार्थीहरूको लागि (ग) बमोजिम छुट्टा छुट्टै विवरण भर्नुपर्नेछ ।
 - (घ) नियमित, आंशिक र ग्रेडबृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन परीक्षा आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरूको अलग अलग समष्टिगत प्राप्तांक विवरण तयार गर्नुपर्नेछ ।
 - अनुसूची २ बमोजिमको फारममा प्राप्तांक चढाउँदा विद्यार्थीहरुको सिम्बोल नम्बरको बढ्दो क्रममा चढाउनुपर्नेछ ।
 - (च) मूल्यांकन सिमितिले अनुसूची २ मा माग भएका सबै विवरणहरु अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ । त्यसरी भर्दा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्तांक छुट्टा छुट्टै उल्लेख गरी तीन प्रति समिष्टगत विवरण तयार गर्नुपर्नेछ ।
 - (छ) मूल्यांकन सिमितिले तयार गरेको प्राप्तांक विवरण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराए बमोजिमको विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन/अफलाइन) मा प्रविष्टी (Entry) गर्नुपर्नेछ । त्यसरी विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्टी (Entry) गरिएको विवरण प्रमाणित गर्नुपर्दा उपदफा (च) बमोजिम पेश भएको प्राप्तांक विवरणलाई आधार मानिनेछ ।

- ज) उपदफा (च) बमोजिमको विवरण तयार भएपछि मूल्यांकन सिमितिका सबै सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी विद्यालयको छाप समेत लगाई तीन प्रति शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा बुकाउनुपर्नेछ । सो मध्ये एक प्रति इकाईबाट प्रमाणित गराई प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा अभिलेखको रुपमा राख्नुपर्नेछ ।
- (क) ग्रेडबृद्धि परीक्षार्थीको रुपमा परीक्षा आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरुको हकमा निज माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीको रुपमा सहभागी हुँदाको बर्षको प्राप्तांकलाई दफा ३(२) मा उल्लेखित प्रकृया बमोजिम परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विषयहरुको मात्र सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक प्राप्तांक भरी पठाउनुपर्नेछ ।
- (ञ) खुला विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको हकमा समेत सम्बिन्धित विद्यालयले पाठ्यक्रम बमोजिमको प्रकृयाअबलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
- (ट) मूल्यांकन सिमितिले इकाईमा पेश गर्ने विवरणमा सच्याउन, केरमेट गर्न र टिपेक्स प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
- (ठ) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गरिएको परीक्षा आवेदन फारम अनुसारको सिम्बोल नम्बर, नाम, थर र जन्मिमिति रुजु गरी यिकन गर्नुपर्नेछ । यदि फरक पर्न गएको अवस्थामा सो व्यहोरा उल्लेख गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्नेछ ।
- (ड) बोर्डबाट परीक्षाफल प्रकाशन नभएसम्म विद्यालयले मूल्यांकन विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ ।
- (ढ) मूल्यांकन सिमितिले पठाएको विवरण भुठा ठहरेमा वा गलत विवरण पेश गरेको पाइएमा सोको कानून बमोजिम जवाफदेही मूल्यांकन सिमिति स्वयम् हुनेछ ।
- प्रिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हनेछ :
 - (क) जिल्ला भित्रका माध्यमिक तह कक्षा १० सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति / सञ्चालन अनुमित प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको मूल्यांकन समितिबाट प्राप्त तीन प्रति मूल्यांकन विवरण ब्रिक्तिने ।
 - (ख) उपदफा (क) बमोजिम प्राप्त विवरण तोिकएको अन्सूची बमोजिम भए नभएको यिकन गर्ने ।
 - (ग) उपदफा (ख) बमोजिम विवरण यिकन गर्दा कृनै विवरण भर्न छुट भएको देखिएमा सम्बन्धित विद्यालयलाई भर्न लगाउने ।
 - (घ) विद्यालयले विद्यार्थी संख्याअनुसार लाग्ने परीक्षा आवेदन वापतको शुल्क राजश्व खातामा दाखिला गरे नगरेको यिकन गर्ने ।
 - (ङ) विद्यालयको मूल्यांकन समितिबाट प्रमाणित गरि पेश गरेको विवरणसँग विद्युतीय प्रणालीबाट प्राप्त हुन आएको विवरण रुज् गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तोकेको सफ्टवेयर अपलोड गर्ने ।
 - (च) उपदफा (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको प्रकृया पुरा भएपछि मूल्यांकन समितिले पेश गरेको मूल्यांकन विवरणमा इकाई प्रमुखले प्रमाणित गरी, पहिलो प्रति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउने, दोस्रो प्रति इकाईमा राख्ने र तेस्रो प्रति सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता पठाउने ।
 - (छ) शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले मूल्यांकन सिमितिबाट प्राप्त प्राप्तांक विवरणहरुको सक्कल प्रति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउँदा विद्यालयको कोड अनुसार क्रमशः मिलाई जिल्ला भित्रका सबै विद्यालयहरुको विवरण तोकिएको समय भित्र एकमुष्ट रुपमा पठाउनुपर्नेछ ।
 - (ज) मूल्यांकन समितिले इकाईमा पेश गरेको विवरणमा सच्याउन, केरमेट गर्न र टिपेक्स प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

- (भ) कुनै विद्यालय विद्यार्थी मूल्यांकनको प्राप्तांक अनलाइन/अफलाइनमा प्रविष्टी गर्न असमर्थ भएमा उक्त प्राप्तांक प्रविष्टी गर्न सहजिकरण गर्ने ।
- (ञ) बोर्डबाट परीक्षाफल प्रकाशन नभएसम्म विद्यालयले पठाएको मूल्यांकन विवरण गोप्य राख्न्पर्नेछ ।
- ६ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
 - (क) दफा ५ को उपदफा १ (छ) बमोजिम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट प्राप्त प्रमाणित सक्कल विवरणसँग विद्युतीय माध्यमबाट पठाईएको विद्यालयगत विवरण रुज् गर्ने ।
 - (ख) उपदफा (क) बमोजिम यिकन भएको विवरण र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेको परीक्षा आवेदन अभिलेखसँग मिले निमलेको रुजु गर्ने ।
 - (ग) उपदफा (क) र (ख) बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएपछि अनुसूची अनुसारको प्रमाणित विवरण बमोजिम सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै खण्डको पूर्णांक र प्राप्तांक रुजु गरी यिकन गर्ने ।
 - (घ) विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्तांकलाई अक्षराङ्गन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन सहित) बमोजिम रुपान्तरण गर्ने ।
 - (ङ) उपदफा (घ) बमोजिम रुपान्तरित विवरणलाई रुज् गर्ने ।
 - (च) उपदफा (ङ) बमोजिम रुज् भएको अन्तिम विवरण नितजा प्रकाशनको लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने ।
 - (छ) बोर्डबाट नितजा प्रकाशन भएपश्चात अभिलेख अद्याविधक गरी ग्रेडिशट र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।

परिच्छेद ३ विविध

- बोर्डले प्रकाशन गरेको सूचना बमोजिमको समयाविध भित्र मूल्यांकन सिमिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले
 तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
- यो कार्यविधि बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले आवश्यकता अन्सार सहजिकरण गर्न सक्नेछ ।
- ९ नितजा प्रकाशनमा प्राविधिक कारणबाट कुनै त्रुटी भएमा वा नितजा स्थिगित भएमा वा नितजा छुट भएमा सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिस सिहत नितजा प्रकाशन भएको मितिले पैंतिस दिन भित्र सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त निवेदन संकलन गरी इकाईहरुले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अभिलेख अनुसार आवश्यक कारवाही गर्नुपर्नेछ ।
- १० नितजा प्रकाशन पश्चात पुनर्योग गराउने, उत्तरपुस्तिका हेर्ने, पुनः परीक्षण गराउने र पुरक ग्रेडबृद्धि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य यस बर्ष हने छैन ।
- ११ यस कार्यविधिको कार्यान्वयनमा क्नै बाधा अड्काउ आइपरेमा बोर्डले बाधा अड्काउ फ्काउन सक्नेछ ।
- १२ यो कार्यविधि संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने अधिकार बोर्डसँग रहनेछ ।

अनुसूची १

माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, कक्षा ९-१०, २०७१, भाग १ मा भएको विद्यार्थी मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था

- * निर्णयात्मक मूल्यांकन : माध्यमिक तहमा निम्नानुसार निर्णयात्मक मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
- (अ) **पहिलो त्रैमासिक परीक्षा** : पहिलो त्रैमासिक अवधी भरमा पठन पाठन भएका विषय वस्तुबाट कूल पूर्णांकको १० प्रतिशत (सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक) अंकभारको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
- (आ) दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा : पिहलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधी भरमा पठन पाठन भएका विषय वस्तुबाट कूल पूर्णांकको ३० प्रतिशत (सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक) अंकभारको परीक्षा सञ्चालन गर्न्पर्नेछ ।
- (इ) अन्तिम परीक्षा : शैक्षिक सत्रको अन्तसम्ममा पठन पाठनका लागि निर्धारित सम्पूर्ण विषय वस्तुबाट ६० प्रतिशत (सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक) अंकभारको परीक्षा सञ्चालनका लागि तिनै परीक्षाको कूल प्राप्तांक जोडेर विद्यार्थीको विषयगत ग्रेड निर्धारण गर्न्पर्नेछ ।
- (ई) प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारतर्फका विधागत विषयहरुमा सैद्धान्तिक तर्फ ४० प्रतशत र प्रयोगात्मक तर्फ ६० प्रतिशतमा मूल्यांकन हुनेछ ।
- (उ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फका विद्यार्थीका लागि ३० कार्यदिने (२४० घण्टा) कार्यगत तालिम (On the job training-OJT) कार्यगत तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७१ बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिको दफा ३ (२) (क) बमोजिम विद्यार्थीको अन्तिम प्राप्तांक तय गर्ने तरिका

(क) प्रयोगात्मक परीक्षा नहुने विषयहरुको लागि

(अ) यदि कुनै विद्यालयले यस कार्यविधिको दफा ३ (२) (क) बमोजिमको प्रयोगात्मक परीक्षा नहुने विषय (जस्तै : गणित) विषयको अन्तिम परीक्षा ३० पूर्णांकमा लिएको रहेछ र उक्त परीक्षामा कुनै एक विद्यार्थीले २६ अंक प्राप्त गरेको रहेछ भने उसको अन्तिम मूल्यांकनको प्राप्तांक निम्न अनुसार गणना गर्ने :

(आ) यिद कुनै विद्यालयले यस कार्यविधिको दफा ३ (२) (क) बमोजिमको प्रयोगात्मक परीक्षा नहुने विषय (जस्तै : गणित) विषयको अन्तिम परीक्षा ६० पूर्णांकमा लिएको रहेछ र उक्त परीक्षामा कुनै एक विद्यार्थीले ५५ अंक प्राप्त गरेको रहेछ भने उसको अन्तिम मूल्यांकनको प्राप्तांक निम्न अनुसार गणना गर्ने :

(इ) यदि गणित विषयको परीक्षा १०० पूर्णांकमा लिएको भए परिवर्तन गर्नुनपर्ने ।

(ख) प्रयोगात्मक परीक्षा हुने विषयहरुको लागि

(अ) यदि कुनै विद्यालयले यस कार्यविधिको दफा ३ (२) (क) बमोजिमको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने विषय (जस्तै : विज्ञान) विषयको अन्तिम परीक्षा ३० पूर्णांकमा लिएको रहेछ र उक्त परीक्षामा कुनै एक विद्यार्थीले २४ अंक प्राप्त गरेको रहेछ भने उसको सैद्धान्तिक तर्फको अन्तिम मूल्यांकनको प्राप्तांक निम्न अनुसार गणना गर्ने :

(आ) यदि कुनै विद्यालयले यस कार्यविधिको दफा ३ (२) (क) बमोजिमको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने विषय (जस्तै : विज्ञान) विषयको अन्तिम परीक्षा ६० पूर्णांकमा लिएको रहेछ र उक्त परीक्षामा कुनै एक विद्यार्थीले ५१ अंक प्राप्त गरेको रहेछ भने उसको सैद्धान्तिक तर्फको अन्तिम मूल्यांकनको प्राप्तांक निम्न अनुसार गणना गर्ने :

(इ) यदि कुनै विद्यालयले यस कार्यविधिको दफा ३ (२) (क) बमोजिमको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने विषय (जस्तै : विज्ञान) विषयको अन्तिम परीक्षा १०० पूर्णांकमा लिएको रहेछ र उक्त परीक्षामा कुनै एक विद्यार्थीले ८७ अंक प्राप्त गरेको रहेछ भने उसको सैद्धान्तिक तर्फको अन्तिम मूल्यांकनको प्राप्तांक निम्न अनुसार गणना गर्ने :

क) साधारण तर्फ

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा १० विद्यार्थीहरुको अन्तिम मूल्याङ्गनबाट प्राप्त समष्टिगत प्राप्ताङ्ग विवरण

विद्यालयको छाप

विद्यालय कोड:

विद्यालयको नाम र ठेगाना :

परीक्षा दस्तुर बुभगएको विद्यार्थी संख्या :

| | | | | | | | | | C | ompu | lsory S | Subjec | ts | | | | | Op | tional | Subjects | | | |
|-----|---------|-------------|------------------|-----|-----|----|----|----|----|------|---------|--------|----|----|----|----|----------|------|--------|----------|------|----|----------------|
| SNO | Reg. No | Symboll No. | Name of Students | DOB | Sex | 10 | 01 | 10 | 06 | 109 | 1 | 11 | 12 | 23 | 13 | 33 | O | pt.1 | | О | pt.2 | | Grand Total |
| | | | | | | ТН | PR | ТН | PR | ТН | TH | PR | ТН | PR | TH | PR | Sub.Code | ТН | PR | Sub.Code | TH | PR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TYI | भक | ਧਾਨ | ानाः |
|-----|------|-----|-------|
| | सामा | 711 | 1.11. |

कक्षा शिक्षक

प्रधानाध्यापक

प्रमाणित गर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख

नाम : दस्तखत : नाम : दस्तखत : नाम : दस्तखत :

नाम :

शि.वि.तथा स.इ.को छाप

मिति :

मिति :

मिति :

दस्तखत :

मिति :

अनुसूची २ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा १०

विद्यार्थीहरुको अन्तिम मूल्याङ्गनबाट प्राप्त समष्टिगत प्राप्ताङ्क विवरण

विद्यालयको छाप

परीक्षा दस्तुर बुभगएको विद्यार्थी संख्या :

ख) संस्कृत तथा वेदविद्याश्रम तर्फ

| | | | | | | | Compulsory Subjects Optiona | | | | | | | | | | ptional | Subjects | | | | | | |
|-----|---------|-------------|------------------|-----|-----|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---------|----------|-------|----|----------|-------|----|----------------|
| SNO | Reg. No | Symboll No. | Name of Students | DOB | Sex | SU | Љ1 | SU | В2 | SU | В3 | SU | В4 | SU | JB5 | SU | В6 | (| Opt.1 | | (| Opt 2 | | Grand Total |
| | | | | | | TH | PR | TH | PR | TH | PR | TH | PR | TH | PR | TH | PR | Sub.Code | TH | PR | Sub.Code | TH | PR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

शिक्षक प्रतिनिधि कक्षा शिक्षक नाम : नाम :

दस्तखत : दस्तखत :

मिति : मिति :

विद्यालय कोड :

विद्यालयको नाम र ठेगाना :

प्रधानाध्यापक

नाम :

दस्तखत :

मिति :

शि.वि.तथा स.इ.को छाप

प्रमाणित गर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख

नाम :

दस्तखत :

मिति :

अनुसूची २ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा १०

विद्यार्थीहरुको अन्तिम मूल्याङ्गनबाट प्राप्त समष्टिगत प्राप्ताङ्क विवरण

विद्यालयको छाप

विद्यालय कोड:

विद्यालयको नाम र ठेगाना :

प्राविधिक धार :

परीक्षा दस्तुर बुभगएको विद्यार्थी संख्या :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub | jects | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|------|-----|-------|------|-------|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-------|----|------|--------|----------------|
| SNO | Reg. No | Symboll No. | Name of Students | DOB | Sex | 10 |)1 | 10 | 06 | 10 | 09 | 1 | 11 | | SUB: | 5 | | SUB | 6 | | SUB ′ | 7 | | SUB | 8 | | SUB | 9 | 5 | SUB 1 | .0 | E | xt.Sub | Grand Total |
| | | | | | | TH | PR | TH | PR | TH | PR | TH | PR | Sub. | TH | PR | Sub. | TH | PR | Sub. | TH | PR | Sub. | TH | PR | Sub. | TH | PR | Sub. | TH | PR | Sub. | TH PR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Δ | | _ | _ | Δ_ |
|-------|------|----|---|----|
| शिक्ष | कप्र | ात | न | ध |

कक्षा शिक्षक नाम : नाम :

दस्तखत : दस्तखतः मिति :

मिति :

नाम :

दस्तखत :

मिति :

शि.वि.तथा स.इ.को छाप

प्रमाणित गर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख

नाम :

दस्तखतः

मिति :

अनुसूची ३

मन्त्री परिषद्को मिति २०७७/२/२८ को निर्णय नं. ४

कोभिड १९ को महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको र नेपालमा पिन यस मामारीको संक्रमण बढ्दै गइरहेको हुँदा विद्यार्थीहरुको पठान पाठन तथा परीक्षाका कार्यहरु अबरुद्ध भएका छन् । निकट भविष्यमा परीक्षा सञ्चालन गर्न संक्रमणको जोखिमका कारणले सम्भव नभएको र यसबाट विद्यार्थीहरुको पढाई र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले महामारिले सृजना गरेको परिस्थितिजन्य बाध्यताको कारण शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २० अनुसार देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्ने :

- (क) शैक्षिक सत्र २०७६ को माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (Secondary Education Examination) को हकमा विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्यांकनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पठाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने,
- (ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त भएको विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रमाणिकरण गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कार्य गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्ने ।

SECONDARY EDUCATION EXAMINATION 2076 SUBJECTS CODE

| | SUBJECT 1 | TH (FM |
|-----|--------------------------------|--------|
| 101 | COM. ENGLISH | 75 |
| 512 | COM. SANSKRIT LANGUAGE & LITE. | 100 |

| | SUBJECT 2 | TH (FM |
|-----|--------------|--------|
| 106 | COM. NEPALI | 75 |
| 506 | COM. ENGLISH | 100 |

| , it | SUBJECT 3 | TH (FM |
|------|------------------|--------|
| 109 | COM. MATHEMATICS | 100 |

| | SUBJECT 4 | TH (FM |
|-----|----------------------------|--------|
| 111 | COM. SCIENCE | 75 |
| 502 | COM. GRAMMAR & TRANSLATION | 100 |

| 图字 | SUBJECT 5 | TH (FM |
|-----|---------------------|--------|
| 123 | COM. SOCIAL STUDIES | 75 |

| | SUBJECT 6 | TH (FM |
|-----|----------------------------|--------|
| 133 | COM. HEALTH, POP & ENV EDU | 75 |
| 134 | COM. SANSKRIT LANGUAGE | 100 |
| 135 | COM. FALIT JYOTISH | 100 |
| 535 | COM. RITES (KARMA KANDA) | 75 |

| C | PTIONAL SUBJECT 1 (SUBJECT 7) | TH (FM |
|------|-------------------------------|--------|
| 231 | OPT. I ADDITIONAL MATHEMATICS | 100 |
| 240 | OPT. I HISTORY | 100 |
| 241 | OPT. I GEOGRAPHY | 75 |
| 243 | OPT. I ECONOMICS | 100 |
| 247 | OPT. I ENVIRONMENT SCIENCE | 75 |
| 262 | OPT. I GRAMMAR (BYAKARAN) | 100 |
| 263 | OPT. I ASTRONOMY (JYOTISH) | 100 |
| 264 | OPT. I LITERATURE (SAHITYA) | 100 |
| 265 | OPT. I VED (SUKLA YAJURVED)* | 75 |
| 269 | OPT. I BHOT LANGUAGE | 100 |
| 601 | OPT. I NEPALI | 100 |
| 604 | OPT. I URDU | 100 |
| 605 | OPT. I TIBETAN | 100 |
| 606 | OPT. I MAITHILI | 100 |
| 607 | OPT. I NEWARI | 100 |
| 610 | OPT. I ENGLISH | 100 |
| 620 | OPT. I SANSKRIT | 100 |
| 642 | OPT. I CIVICS | 100 |
| 645 | OPT. I SOCILOGY | 100 |
| 646 | OPT. I POPULATION EDUCATION | 100 |
| 261* | OPT. I JUSTICE (NYAYA) | 100 |
| 266* | OPT. ETHICS (NITISHASTRA) | 100 |
| 668 | OPT. I VED (SAMVED)* | 80 |
| 669* | OPT, I VED (SUKLA YAJURVED)* | 75 |

| 0 | PTIONAL SUBJECT 2 (SUBJECT 8) | TH (FN |
|------|-------------------------------------|--------|
| 301 | OPT. II OFFICE MGMT ACCOUNT | 75 |
| 302 | OPT. II AĞRICULTURE | 75 |
| 306 | OPT. II EDUCATION | 75 |
| 331 | OPT. II ADDITIONAL MATHEMATICS | 100 |
| 334 | OPT. II COMPUTER SCIENCE | 50 |
| 768* | OPT. II GRAMMAR (BYAKARAN) | 100 |
| 769* | OPT. II ASTRONOMY (JYOTISH) | 100 |
| 385 | OPT. II HEALTH & PHYSICAL EDUCATION | 75 |
| 389 | OPT. II BUDDHIST EDUCATION | 75 |
| 700 | OPT. II HOME SCIENCE | 75 |
| 703 | OPT. II INDUSTRIAL EDUCATION | 75 |
| 305 | OPT. II RITE (KARMA KANDA) | 75 |
| 720 | OPT. II FOOD SCIENCE | 50 |
| 721 | OPT. II NEEDLE WORK | 50 |
| 740 | OPT. II MUSIC | 75 |
| 743 | OPT. II PAINTING | 50 |
| 752 | OPT. II AUDITING | 75 |
| 762 | OPT. II JOURNALISM | 75 |
| 766 | OPT. II TARK SANGRAHA (LOGIC) | 100 |
| 767 | OPT. II JUSTICE (NYAYA) | 100 |
| 311* | OPT. II AYURVED | 75 |
| 312* | OPT. II SCIENCE | 75 |
| 383* | OPT. II FALIT JYOTISH | 100 |
| 322 | OPT. II YO'GA EDUCATION* | 100 |
| 333* | OPT. II NATUROPATHY | 100 |

| | NOTE |
|---|--|
| > | The subjects have 4 credit hours |
| > | One credit hour is equal to 32 clock hours |